

न्यायालय: श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कं.-706 / 2004  
संस्थित दिनांक-28.08.2004  
फाईलिंग क.234503000272004

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

-----अभियोजन ।

// विरुद्ध //

1-इरशाद अली उर्फ भूरा पिता शहादत अली, उम्र-52 वर्ष,  
निवासी-वार्ड नं.08 चालिस मकान जोड़ा मंदिर के पास बैहर,  
थाना बैहर जिला-बालाघाट(म.प्र.)।

2-जब्बार खान उर्फ मुन्ना पिता रहमान खान, उम्र-52 वर्ष,  
निवासी-वार्ड नं.05 कंपाउंडरटोला बैहर, थाना बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)।

-----आरोपीगण ।

// निर्णय //

(आज दिनांक-15/07/2016 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379/34 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-25.06.2004 व 22.06.2004 की दरम्यानी ग्राम कुमादेही थाना अंतर्गत बैहर में सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में दूर संचार विभाग के टेलीफोन तार 300 पोंड लंबाई एक बंडल 410 मीटर कीमती व तार 300 पोंड लंबाई एक बंडल 543 मीटर कीमती 10317/- रुपये विभाग की सहमति के बिना बेईमानी से ले लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता एम.पी. परते ने दिनांक 26.06.2004 को पुलिस थाना बैहर आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह टेलीफोन एक्सचेंज बैहर में मैकेनिक के पद पर पदस्थ है। घटनास्थल ग्राम कुमादेही में टेलीफोन विभाग का सामान, जिसमें तार के दो बंडल रखे गये थे, मंगलवार एवं शुक्रवार की दरम्यानी उपरोक्त तार के दो बंडल चोरी हो गये। उसे जब्बार खान उर्फ मुन्ना एवं इरशाद खान उर्फ भूरा के विषय में संदेह है। उपरोक्त आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-117/04, धारा-379 सहपठित धारा 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान उक्त घटनास्थल का मौका

नक्शा तैयार कर, फरियादी एवं साक्षियों के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध संदेह जाहिर किये जाने पर आरोपीगण को तलब कर पूछताछ कर उनके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आरोपीगण से चोरीशुदा संपत्ति जप्त की गई, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को विधिवत् गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 379/34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण का अभियुक्त परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत किए जाने पर उन्होंने अपने कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-25.06.2004 व 22.06.2004 की दरम्यानी ग्राम कुमादेही थाना अंतर्गत बैहर में सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में दूर संचार विभाग के टेलीफोन तार 300 पोंड लंबाई एक बंडल 410 मीटर कीमती व तार 300 पोंड लंबाई एक बंडल 543 मीटर कीमती 10317/- रुपये विभाग की सहमति के बिना बेईमानी से ले लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की ?

#### विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष:-

5— अभियोजन साक्षी ए0एल0 सय्याम(अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-26.06.2004 को थाना बैहर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अभियोगी एम.पी. परते ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध चोरी के संबंध में सूचना दी थी तब उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक-117/04 पर दर्ज की थी जो प्र.पी.01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 फरियादी की निशादेही पर तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी इरशाद अली से मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.03 लेख कराया था जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किया था एवं आरोपी के भी हस्ताक्षर कराये थे। आरोपी जब्बार का मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.04 लेख किया था जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे एवं उसने आरोपी एवं गवाहों के हस्ताक्षर कराये थे। इसी

दिनांक को आरोपी जब्बार खान से टेलीफोन तार का बंडल गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 तैयार किया था जिसपर उसने हस्ताक्षर किया था एवं उसने आरोपी तथा गवाहों के हस्ताक्षर कराया था।

**6—** आरोपी इरशाद से टेलीफोन तार का बंडल गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था जिसपर उसने हस्ताक्षर किया था। इसी दिनांक को आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.07 एवं 08 तैयार किया था जिसपर उसने हस्ताक्षर किया था। साक्षीगण धर्मेन्द्र कुमार, प्रवीण गिरी एवं नरबदाप्रसाद के बयान उनके बतायेनुसार लेख किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने मन से लेख की थी। उसने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 उसे लेख नहीं कराया गया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपीगण से प्र.पी.05 एवं प्र.पी.06 में दर्शाई गई सामग्री जप्त नहीं की थी।

**7—** अभियोजन साक्षी प्रवीण गिरी अ.सा.01 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। घटना के विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। पुलिस को उसने कोई बयान नहीं दिया था।

**8—** अभियोजन साक्षी धर्मेन्द्र कुमार अ.सा.03 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। वर्ष 2004 में वह दूरभाष केन्द्र बैहर में जूनियर टेलीकाम ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उसे नर्मदाप्रसाद परते ने बताया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने 02 तार के बंडल चोरी कर लिये हैं। उसने नर्मदाप्रसाद परते को रिपोर्ट करने के लिये कहा था। उसके समक्ष आरोपीगण ने प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 के मेमोरेन्डम कथन लेख नहीं कराये थे किन्तु प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण से तार का बंडल जप्त नहीं किये थे परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.05 एवं प्र.पी.06 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**9—** अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी इरशाद अली ने मेमोरेन्डम कथन

प्र.पी.03 उसके समक्ष लेख कराया था और बताया था कि उसने आरोपी जब्बार के साथ ग्राम कुमादेही में टेलीफोन के तारों की चोरी की थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी जब्बार खान ने भी मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.04 उसके समक्ष लेख कराया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.03 लगायत प्र.पी. 08 में पुलिस थाना बैहर में हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था।

**10—** प्रकरण में साक्षी एन.पी. परते की मृत्यु हो जाने से उसके कथन न्यायालय में लेखबद्ध नहीं किये गये हैं। प्रकरण में विवेचक साक्षी ए.एल. सय्याम अ.सा. 02 का कहना है कि उसने आरोपी इरशाद अली के प्र.पी.03 के मेमोरेन्डम तथा आरोपी जब्बार खान के प्र.पी.04 के मेमोरेन्डम कथन के आधार पर आरोपीगण से चोरी गये टेलीफोन के तार के बंडल की जप्ती की थी। जप्ती की कार्यवाही के पश्चात उसने आरोपीगण की गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। आरोपीगण द्वारा दिये गये मेमोरेन्डम कथन के आधार पर ही समस्त कार्यवाही विवेचक द्वारा किया जाना कहा गया है। विवेचक साक्षी ए0एल0 सय्याम अ.सा.2 के कथनों का समर्थन एवं उसके द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन अभियोजन साक्षी प्रवीण गिरी अ.सा.01 ने नहीं किया है और कहा है कि उसके समक्ष न तो आरोपीगण ने कोई मेमोरेन्डम कथन दिये थे और न ही उसके सामने आरोपीगण से जप्ती की कार्यवाही हुई थी।

**11—** अभियोजन साक्षी धर्मेन्द्र कुमार अ.सा.03 ने अपने मुख्यपरीक्षण में भी कहा है कि आरोपीगण ने उसके समक्ष मेमोरेन्डम कथन लेख नहीं कराया गया था, जबकि प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उल्लेखनीय है कि साक्षी धर्मेन्द्र कुमार दूर संचार विभाग में कार्यरत कर्मचारी है और उसके द्वारा कहा गया है कि मेमोरेन्डम की कार्यवाही, जप्ती की कार्यवाही एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के दस्तावेजों में एक ही दिन में थाने में बैठकर उसने हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण द्वारा टेलीफोन के दो बंडल तार की चोरी की गई। उपरोक्त स्थिति में आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379/34 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। फलस्वरूप आरोपीगण को उपरोक्त धारा में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त कर स्वतंत्र

किया जाता है।

**12—** प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437(क) के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

**13—** प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

**14—** प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति टेलीफोन के दो बंडल तार 300 पोंड लंबाई एक बंडल 410 मीटर कीमती व तार 300 पोंड लंबाई एक बंडल 543 मीटर न्यायालय में जमा है जो अपील अवधि पश्चात दूर संचार विभाग को प्रदान की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / —

बैहर

दिनांक-15.07.2016

(श्रीष कौलाश शुक्ल)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर